43/18/225 किशन लाल बनाम श्रवण लाल

तारीख पेशी	बनाम 2018/000043 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ..... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

किशन लाल बनाम श्रवण लाल वगैरह

8.10.18

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम हेतु पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस दिनांक 20.09.2018 को सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 12 ने जब दिनांक 03.01.2018 को विवादित आराजीयात पर आकर प्रार्थीगण/अपीलांट का धमकी दी और कहा कि विवादित आराजीयात को खाली करें हमने विवादित आराजीयात पर तुम्हे आने जाने से पाबंद करवा रखा हैं तब प्रार्थीगण /अपीलांट ने अभिभाषक से सम्पर्क किया और नकल बाबत् निवेदन किया दिनांक 04.01.2018 को प्रार्थी को नकल प्राप्त हुई तो उन्हे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 18.05.2016 व तत्पश्चात पारित आदेश दिनांक 26.05.2016 की जानकारी हुई तथा प्रार्थीगण/अपीलांट नकल प्राप्त कर वकील फीस का इन्तजाम करने लिए गॉव चले गये और आज विलम्ब से न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की हैं। अपील आज जानकारी से अन्दर मियाद सेवा में प्रस्तुत की जा रही हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में हुए विलम्ब को क्षमा फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 13 से 15 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त उनवानी अपील करीब एक साल आठ साल बाद सद्भावनापूर्ण तरीके से बिना विश्वसनीय कारणों के असत्य आधारों पर वादीगण से आपस में मिलीभगत कर यह अपील मियाद बाहर पेश की हैं तथा जो आधार कन्डोनेशन के प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखे हैं उन आधारों पर विलम्ब कन्डोन नहीं किया जा सकता तथा वादीगण एवं तरबीबी प्रतिवादी संख्या 01, 02 (वर्तमान अपील के अपीलाथी)ने आपस में मिलीभग कर यह अपील असाधारण विलम्ब से पेश की गई। विलम्ब के संतोषजनक कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये हैं। जबकि विलम्ब के एक–एक दिन का कारण अंकित किया जाना चाहिए। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जावें।

अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेज व नजीरों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में जानकारी दी है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 12 ने दिनांक 03.1.2018 को धमकी दी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2016 व दिनांक 25.06.2016 की जानकारी नकल दिनांक 04.01.2018 को हमें हुई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 02.01.2018 को प्रस्तुत किया एवं दिनांक 04.01.2018 को नकल प्राप्त की हैं। इस प्रकार अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

03.01.2018 को जानकारी होना बताया है जबकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.01.2018 को ही प्रतिलिपि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था इस प्रकार अपीलांट का उपरोक्त कथन कि हमें दिनांक 03.01.2018 को प्रार्थीगण ने धमकी दी तब उपरोक्त आदेश की जानकारी हुई वह सही नहीं माना जा सकता हैं। प्रार्थी स्वंय दिनांक 04.01.2018 को नकल प्राप्त होने का कथन करता हैं तथा अपील दिनांक 31.01.2018 को प्रस्तुत की जाती हैं जो कि 27 दिवस विलम्ब से पेश की गई। इस बाबत् अपीलांट ने कोई संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2016 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी। इस प्रकार लगभग ढ़ेड वर्ष के विलम्ब के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई, जो कि असाधारण विलम्ब की श्रेणी में आता हैं। इसे कन्डोन करने हेतु परिसीमा के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य पर्याप्त हैतुक का प्रदर्शित नहीं करते हैं अतः विलम्ब क्षम्य नहीं किया जा सकता हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता हैं।

यही नहीं हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय के एक पक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई जो की काननून इस न्यायालय में संधारण योग्य नहीं हैं।

उपरोक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किये जाने एवं अपील एक पक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्ध होने के कारण पोषणीय नहीं होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

8/11/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर